उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

रायपुर—थानों रोड, निकट—महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज,
डाकघर—रायपुर, देहरादून—248008
दूरभाष—9520991172 ई—मेल—chayanayog@gmail.com

संख्याः 3719 /अधियाचन/2025—26 देहरादूनः दिनांक 08 दिसम्बर, 2025

विज्ञप्ति संशोधन

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्याः 73/उ0अ0से0च0आ0/2025 दिनांक 12 सितम्बर, 2025 द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सहायक अध्यापक एल०टी० (विशेष शिक्षा शिक्षक) के कुल 128 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है।

सचिव माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—01, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या—347369 दिनांक 25 नवम्बर 2025 के अनुसार उत्तरखण्ड विशेष शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 के नियम—8 में शैक्षिक अर्हता में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित हैः—

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक उपाधि।

2. भारत में विधि द्वारा स्थापित एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थांन से विशेष शिक्षा में बी०एड० की उपाधि के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा आवंटित वैध आर०सी०आई०, सी०आर०आर० संख्या।

अथवा

भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय/संस्थान से बी०एड० एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०एड० विशेष शिक्षा के समकक्ष सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा आवंटित वैध आर०सी०आई०, सी०आर०आर० संख्या।

3. समावेशी शिक्षा में क्रॉस दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण,

परन्तु भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा क्रॉस दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारम्भ नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए उक्त अर्हता को इस शर्त के साथ शिथिल रखा जाएगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति के उपरान्त उक्त प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 02 वर्ष के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा।

4. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्/भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।

5. अभ्यर्थी को विशेष शिक्षा शिक्षक पद पर नियुक्ति/चयन हेतु यू०टी०ई०टी०—2/ सी०टी०ई०टी०—2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—01. उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देश के क्रम में आयोग द्वारा ऐसे नए अभ्यर्थियों, जो उपरोक्त अर्हतानुसार शैक्षणिक

क्रमशः 02

एवं प्रशिक्षण अर्हतायें पूर्ण करते हैं. को विशेष शिक्षा शिक्षक के पद पर ऑनलाइन आवेदन का अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में विज्ञापन संख्या–73 के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन किया है. यदि वे संशोधित शैक्षिक अर्हतानुसार आवेदन करने के इच्छुक हों, तो वे अपने पूर्व आवेदन को निरस्त कर नये सिरे से आवेदन कर सकते हैं। इस हेतु उन्हें नये आवेदन के सापेक्ष निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। विज्ञापन की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

<u>ऑनलाइन आवेदन हेतु तिथियां:–</u>

1. ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ तिथि– 11 दिसम्बर, 2025
2. शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन हेतु अंतिम तिथि– 31 दिसम्बर, 2025

(डॉ0 शिव कुमार बरनवाल),
सचिव।